न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 21 / 2025(जी.सी.एम.एस.2025 / 360)

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. अमरीक सिंह पुत्र धारा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 2. प्रेम सिंह पुत्र खडका सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. लालचन्द पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 2. विकास पुत्र लालचन्द जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 3. विमला देवी पत्नी जगदीश चन्द जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 4. जोगेन्द्र सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 5. सुमन रानी पुत्री नानक राम जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–24.07.2025

उपस्थित:1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री सतवीर कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

––निर्णय–– **दिनांक : 08.01.2026**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/09 के मुरब्बा नम्बर 23, 103/8 की कुल 3.604 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 अमरीक सिंह के नाम व राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 147/145 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी संख्या 2 के नाम 1.580 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 39/38 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 3.035 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 78/74 के मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्वी दिशा में स्वीकृत मार्ग स्थित है। जिसमें खडवंजा लगा हुआ है। उक्त खडवंजा से होते हुए मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी दिशा में डेढ-डेढ बिस्वा रास्ता मौका पर चालू है, जिसका उपयोग करते हुए आवेदकगण मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5, मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 25 में प्रवेश कर अपनी फसल काश्त करते है। यही एकमात्र रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है। अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आज से 15 दिन पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा कि वे मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में चल रहे रास्ता को मंजूर करवा देवे। अप्रार्थीगण ने रास्ता मंजूर करवाने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थनापत्र के अनुसार आवेदकगण के द्वारा मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 ता 5 में रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 2 का आवेदकगण के साथ राजीनामा हो गया है तथा अप्रार्थी अपनी उक्त भूमि में से किला नम्बर 3 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीगण से रास्ता की एवज में प्रतिकर राशि 50000/- रुपए प्राप्त कर लिए है। अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तो अप्रार्थी संख्या 4 को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त मार्ग स्वीकृत होने की सूरत में हिस्सा की प्रतिफल राशि मुझ अनावेदक ने प्राप्त कर

सहायक कलक्टर एवं ...
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

ली है। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

3. उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2025/729 दिनांक 13.08.2025 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक धनूर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक धनूर व पटवारी हल्का 6 वीं धनूर के द्वारा चक 10 एस के मुरब्बा नम्बर 20, 22, 23 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थीगण के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5, मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 25 की भूमि तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते की मांग की गई है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/09 के मुरब्बा नम्बर 23, 103/8 की कुल 3.604 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 अमरीक सिंह के नाम व राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 147/145 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी संख्या 2 के नाम 1.580 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5, मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 25 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि में से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी संख्या 2 विकास, अप्रार्थी संख्या 4 जोगेन्द्र सिंह ने अपने हिस्से की रास्ता भूमि के बदले प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली है और मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर शेष हितबद्ध अप्रार्थीगण लालचन्द, विमला देवी, सुमन रानी को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.2025 भी निरस्त की जाती है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2026/12

दिनांक :-08.01.2026

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 21/2025 अनवान अमरीक सिंह आदि बनाम लालचन्द आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मे पारित **निर्णय दिनांक 08.01.2026 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 08.01.2026 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी संख्या 2 विकास, अप्रार्थी संख्या 4 जोगेन्द्र सिंह ने अपने हिस्से की रास्ता भूमि के बदले प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली है और मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ डेढ-डेढ बिस्वा भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5 के उतरी-पूर्वी कोने में 0.0013 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर शेष हितबद्व अप्रार्थीगण लालचन्द, विमला देवी, सुमन रानी को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.2025 भी निरस्त की जाती है।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)